/

काशीबाई और ओ. आर. एस. बनाम

कर्नाटक राज्य (2023 की आपराधिक अपील संख्या 627) 28 फरवरी, 2023

/

[अजय रस्तोगी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.498 ए, 303 आर/डब्ल्यू 34-अपीलार्थी-अभियुक्तों को यू/एस. एस. के तहत दोषी ठहराया गया था।498 ए, 306 आर/डब्ल्यू 34 और सजा सुनाई गई-आयोजितःअपीलार्थियों के कहने पर मृतक को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा-अभियोजन पक्ष ने अपराध के लिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक घर लाया है।498 ए आर/डब्ल्यू एस।34 – हालाँकि, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया-केवल आत्महत्या करने का तथ्य न्यायालय के लिए यू/एस की धारणा को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 113 ए, साक्ष्य अधिनियम, और अभियुक्त को एस का दोषी ठहराना।306 – अभिलेख पर किसी भी संतोषजनक साक्ष्य के अभाव में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थियों को अपराध के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की।306 – अपीलार्थियों यू/एस की दोषसिद्धि। 498 ए को बरकरार रखा गया है, हालांकि उन्हें यू/लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया हैs.306 उन्हें संदेह का लाभ देकर-इसके अलावा, क्योंकि अपीलार्थी पहले ही अपराध के लिए दो साल के कारावास से गुजर चुके हैं।498 ए आर/डब्ल्यू एस।34, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा निर्देश दिया गया है, तुरंत निशुल्क किया जाएगा-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.113A।

/

/

/

दंड संहिता, 1860-एस. एस.306, 107 – आयोजित किया गयाःयू/एस अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए।306, अपराध के मूल घटक अर्थात् जहां मृत्यु आत्महत्या थी और क्या अभियुक्त की ओर से कोई उकसावा था जैसा कि धाराओं में विचार किया गया है।107 स्थापित किया जाना चाहिए-इसके अलावा, मामले को 'उकसाने' के दायरे में लाने के लिए।107, आरोप साबित करने के लिए अभियुक्त की ओर से उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के संबंध में एक सबूत होना चाहिए।306, किसी व्यक्ति को आत्महत्या

करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से सकारात्मक कार्य के संबंध में भी एक सबूत होना चाहिए।एम. मोहन बनाम। डिप्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य

/

/

पुलिस अधीक्षक (2011) 3 एससीसी 626:[2011] 3 ए.

/

175

176 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

एससीआर **437;** मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य **(2014)**

12 एससीसी **595:[2014] 4** एससीआर **988-**पर निर्भर था।संदर्भित निर्णय

[2011] 3 एससीआर **437**

पर विश्वास किया

पैरा **9**

[2014] 4 एससीआर **988**

पर विश्वास किया

पैरा **15**

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.627।

2014 के सी. आर. एल. ए. No.200027 में कालाबुरागी में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.03.2021 के निर्णय और आदेश से।

/

सुश्री अफशान प्राचा, प्रकाश जाधव, अनिरुद्ध संगनेरिया, रविचंद्र जाधव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

शुभ्रांशु पाधी, विशाल बंसल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकीर्ति, मो. ओवैस, एड.प्रत्यर्थियों के लिए।

बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.**

/

1. अनुमति दी गई।

2. आपराधिक अपील No.200027 2014 में कर्नाटक उच्च न्यायालय , कालाबुरागी पीठ द्वारा पारित 06.03.2021 के निर्णय और आदेश को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सत्र मामले No.5/2011 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बीजापुर (इसके बाद "सत्र न्यायालय " के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 11.02.2014 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है।सत्र न्यायालय ने उक्त निर्णय और आदेश के माध्यम से वर्तमान एन. ओ. एस. को दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498 ए और धारा 306 के अंतर्गत अपराधों के लिए 1,2 और 3, और आरोपी नं.4 कल्लप्पा जंगमशेट्टी के पुत्र संतोष जंगमशेट्टी, जो मृतक जयश्री के बहनोई थे, उक्त आरोपों से बरी हो गए।3. मृतक जयश्री ने अपीलार्थी नं.3, कथित घटना से लगभग तीन साल पहले चंद्रशेखर।अपीलार्थी सं।1 और 2 क्रमशः विधि मृतक की सास और ससुर थे। श्रीमती. मृतक की मां सदाशिव लिम्बिकई की पत्नी अन्नपूर्णा ने बबलेश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि अन्य बातों के साथ-साथ उनकी बेटी जयश्री की शादी आरोपी नं.3, चंद्रशेखर।शादी के बाद, उसके सास-ससुर, जीजा और उसके पति ने ए के साथ बुरा व्यवहार किया

/

/

/

/

177

काशीबाई और ओ. आर. एस. बनामकर्नाटक राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

जयश्री शारीरिक और मानसिक रूप से दहेज की माँग के कारण।इस तरह के उत्पीड़न के कारण उनकी बेटी जयश्री ने लगभग 11 बजे 07.02.2010 पर आत्महत्या कर ली:00 तिगानीबिदारी गाँव में सर्वेक्षण संख्या 53/4 वाले भूमि वाले एक खुले कुएँ में कूदकर।उक्त शिकायत भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 के साथ पठित धारा 498 ए और 376 के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की गई। सत्र न्यायालय ने मुकदमा चलाया और अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपीलार्थियों को उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा

498 ए के अंतर्गत अपराधों के लिए प्रत्येक को 2,000/- रुपये और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के अंतर्गत अपराधों के लिए पांच साल की अवधि के लिए साधारण कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के अनुसार उक्त दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

/

/

4. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को अच्छी तरह से देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों-अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को घर लाने के लिए 21 गवाहों की जांच की थी और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। लेकिन 21 गवाहों में से पीडब्लू-10, पीडब्लू-11, पीडब्लू-12 और पीडब्लू-14 मुकर गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 पर निर्भर था जो मृतक के माता-पिता थे और पीडब्लू-6 जो मृतक के चाचा थे।उन सभी ने नकद और सोने के रूप में दहेज की मांग और उनके द्वारा मृतक को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने के बारे में बयान दिया था।पीडब्लू-5 जो दोनों पक्षों के लिए ज्ञात व्यक्ति था और जिसने मृतक और अपीलार्थी के बीच विवाह की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 ने यह भी बयान दिया था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त सोने और नकदी की मांग की गई थी और अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक जयश्री को परेशान किया गया था।पड़ोसियों, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 ने भी अन्य बातों के साथ यह बयान देकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था कि मृतक को अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

/

/

/

/

5. उक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी सराहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक को अपीलकर्ता-अभियुक्त के कहने पर उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक घर लाया था।

/

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498 ए के तहत अपराध का संबंध था।हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराध के संबंध अंतर्गत अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था।

6. इस मोड़ पर, आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 में निहित प्रासंगिक प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा।“ 306. आत्महत्या के लिए उकसाना।- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, वह दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। "

/

/

7. धारा 107 में "किसी चीज़ को उकसाना" क्या है, इसका वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है:-

“107. एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है**,** जो**-**पहले।**—**किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है**;** या

/

दूसरा।—उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

तीसरी बात।—जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

/

स्पष्टीकरण 1.—एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, कहा जाता है कि वह उस काम को करने के लिए उकसाता है। "

/

8. उक्त प्रावधानों के नंगे पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध के मूल घटक अर्थात् जहां मृत्यु आत्महत्या थी और क्या आरोपी की ओर से कोई उकसावा था जैसा कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 में विचार किया गया है, स्थापित किया जाना चाहिए।

/

9. एम. मोहन बनाम राज्य में, जिसका प्रतिनिधित्व डिप्टी द्वारा किया जाता है

पुलिस अधीक्षक **1,** इस न्यायालय ने विस्तार से निपटा है

1 (2011) 3 एससीसी 626 ए

/

179

काशीबाई और ओ. आर. एस. बनामकर्नाटक राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 के साथ पठित धारा 376 में निहित प्रावधानों और पहले के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद निम्नानुसार देखा गया हैः-

“41. रमेश कुमार [(2001) 9 एस. सी. सी. 618 के एस. सी. सी. पैरा 20 में यह न्यायालय ः2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1088] ने "उकसाने" के अर्थ के विभिन्न रंगों की जांच की है।पैरा 20 इस प्रअंतर्गत र हैः(एस. सी. सी. पी. 629)

/

“20. उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या 'एक कार्य' करने के लिए प्रोत्साहित करना है।उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न रह गया हो, इस मामले में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता है।वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है। "

/

/

उक्त मामले में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य और सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त के सीमा (अपीलार्थी की पत्नी) द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के निष्कर्ष से आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके।

/

42. राज्य में डब्ल्यू. बी. बनाम.ओरिलाल जैसवाल [(1994) 1 एस. सी. सी. 73:1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 107] इस न्यायालय ने आगाह किया है कि (एस. सी. सी. पृष्ठ 90, पैरा 17) न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था।यदि न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाला कोई पीड़ित सामान्य कलह, कलह और घरेलू जीवन में अंतर के प्रति अतिसंवेदनशील था, जो उस समाज के लिए काफी सामान्य था, जिससे पीड़ित संबंधित था और इस तरह के कलह, कलह और मतभेद से किसी दिए गए समाज में इसी तरह की परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए।

/

/

/

इस निष्कर्ष के आधार पर संतुष्ट किया जाए कि आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाने के आरोपी को दोषी पाया जाना चाहिए।

43. यह न्यायालय चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एन. सी. टी. सरकार) मामले में है।

दिल्ली) [(2009) 16 एस. सी. सी. 605:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 367] के पास उकसाने के इस पहलू से निपटने का अवसर था।न्यायालय ने "उकसाने" और "उकसाने" शब्द के शब्दकोश अर्थ पर विचार किया।न्यायालय ने राय दी कि बाद वाले द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने का इरादा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति दूसरों से अलग होती है।प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मसम्मान का अपना विचार होता है।इसलिए, ऐसे मामलों से निपटने के

लिए किसी भी स्ट्रैटजैकेट सूत्र को निर्धारित करना असंभव है।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है।

/

/

44. प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल है।आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

/

45. विधायिका की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और इस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली। "

/

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मामले को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 के अंतर्गत 'उकसाने' के दायरे में लाने के लिए, आरोपी की ओर से उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के संबंध में एक सबूत होना चाहिए।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आरोप साबित करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए आरोपी की ओर से सकारात्मक कार्य के संबंध में भी एक सबूत होना चाहिए।

/

/

11. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने गवाहों से पूछताछ करके यह साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की मांग की थी कि मृतक ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की थी।पीडब्लू-21 डॉ. जयश्री मसाला, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, ने अपने बयान में ए के शरीर पर पाए गए घावों के बारे में बताया था।

/

जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्शनी-14) में उल्लेख किया गया है।उनकी अंतिम राय के अनुसार, मृत्यु का कारण "श्वासावरोध के परिणामस्वरूप डूबना" था।यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसके साक्ष्य से कुछ भी सामने नहीं आता है कि मृत्यु आत्महत्या थी या नहीं।पीडब्लू-1 अन्नापूर्णा लिम्बिकई, जो कि माँ थी, ने हालांकि अपने जाँच-प्रमुख में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की हत्या आरोपी ने उसे कुएं में फेंक कर की थी, उसने स्वीकार किया था कि जब वह मौके पर पहुंची तो उसने अपनी बेटी का शव कुएं में नहीं देखा था।उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने अपनी शिकायत में यह नहीं कहा था कि उसकी बेटी ने आरोपी द्वारा किए गए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।इस मोड़ पर उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और लोक अभियोजक को उससे जिरह करने की अनुमति दी गई।जिरह में उसने कहा था कि उसे घटना याद नहीं है क्योंकि यह बहुत पहले हुई थी।अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे की जिरह में उसने स्वीकार किया था कि अभियुक्त नं। 3 ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसकी बेटी-जयश्री गलती से फिसल गई थी, और इसके परिणामस्वरूप वह लगभग 1 बजे कुएं में गिर गई थी।उसने यह भी कहा कि जब वह, उसके पति, अन्य रिश्तेदार और पड़ोसी शाम करीब साढ़े चार बजे घटना स्थल पर गए तो उन्होंने शव को कुएं में तैरते नहीं देखा था।

/

/

/

12. मृतक के पिता पीडब्लू-4 सदाशिव लिम्बिकई ने भी न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी-जयश्री ने आत्महत्या की थी या आरोपी ने उनके शव को कुएं में फेंक दिया था।पीडब्लू-5 रुद्रगौड़ा पाटिल, जिन्होंने आरोपी नं. 3, ने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि जयश्री कुएं में कैसे गिर गई थी।पीडब्लू-6 गंगप्पा लिमीबकाई, जो मृतक के चाचा थे, को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मृतक कुएं में कैसे गिर गया।जिरह में उसने स्वीकार किया था कि जब शव को कुएं से निकाला गया तो चारों आरोपी कुएं के पास मौजूद थे।संक्षेप में, अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों में से किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मृतक ने कुएं में छलांग लगा दी थी या वह दुर्घटनावश कुएं में फिसल गई थी।

/

/

/

13. पीडब्लू-21 डॉ. जयश्री मसाली ने हालांकि कहा था कि मृतक की मौत दम घुटने के परिणामस्वरूप डूबने से हुई थी, न तो उनके द्वारा कोई राय दी गई थी और न ही उनसे कोई राय मांगी गई थी कि क्या यह मृतक द्वारा की गई आत्महत्या थी या यह एक दुर्घटना थी जिससे वह कुएं में गिर गई थी।भले ही यह माना जाता है कि

/

182

/

[2023] 3 एस सी आर।

मृतक ने आत्महत्या कर ली थी, अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया था कि किसी भी आरोपी की ओर से उकसाया गया था जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था।यह दिखाने के लिए नाम के लायक कोई सबूत नहीं है कि किसी भी अपीलार्थी-अभियुक्त ने या तो मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या जानबूझकर सहायता की थी या उकसाया था या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 के अंतर्गत कोई उकसाया था।

/

14. हालांकि यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के अनुसार, जब यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था, और जब यह पता चलता है कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था, तो न्यायालय अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि इस तरह की आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उकसाया था।हालाँकि, न्यायालय के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के अंतर्गत अनुमान लगाने और आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 का दोषी ठहराने के लिए केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही पर्याप्त नहीं होगा।

/

/

15. मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य **2** में**,** यह न्यायालय विचार कर रहा है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के अंतर्गत अनुमान के आलोक में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के प्रावधानों को निम्नानुसार देखा गयाः- “30. हमारा विचार है कि केवल यह तथ्य कि यदि कोई विवाहित महिला अपनी शादी के सात साल की अवधि के

भीतर आत्महत्या कर लेती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के अंतर्गत धारणा स्वचालित रूप से लागू नहीं होगी।विधायी अधिदेश यह है कि जहां कोई महिला अपने विवाह के सात वर्षों के भीतर आत्महत्या करती है और यह दिखाया जाता है कि उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया है, तो भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के अंतर्गत परिभाषित अनुमान, मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आकर्षित कर सकता है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा की गई है।"न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि इस तरह की आत्महत्या उसके पति द्वारा की गई थी" यह शब्द इंगित करेगा कि यह धारणा विवेकाधीन है।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल नहीं हुआ है कि दहेज की मांग की गई थी, और न ही नीचे की अदालतों द्वारा अपनाया गया तर्क।

/

/

/

2 (2014) 12 एससीसी 595 ए

/

183

काशीबाई और ओ. आर. एस. बनामकर्नाटक राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होगा ताकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के अंतर्गत आ सके।

31. इस संबंध में, हम हंस राज बनाम हरियाणा राज्य [(2004) 12 एस. सी. सी. 257 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं:2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 217], जिसमें इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए और धारा 376,107,498-ए, आदि के दायरे की जांच की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के विपरीत, एक वैधानिक अनुमान केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए में उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण पर विधि के संचालन से उत्पन्न नहीं होता है। इस अदालत ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के अंतर्गत , अभियोजन पक्ष को पहले यह स्थापित करना होगा कि संबंधित महिला ने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली है और उसके पति ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया है। भले ही वे तथ्य स्थापित हो गए हों, लेकिन न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि उसके पति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है।इसलिए, धारा 113-ए, न्यायालय को

मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की धारणा को उठाने का विवेकाधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है, वह आईपीसी की धारा 498-ए में "क्रूरता" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए क्रूरता की प्रकृति पर विचार कर सकती है।

/

/

/

16. जहाँ तक तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संबंध है, हमारी राय में अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है ताकि न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सके कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। अभिलेख पर कोई संतोषजनक साक्ष्य लाए जाने के अभाव में, हमारी राय में नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की थी।

/

/

17. मामले के उस दृष्टिकोण में धारा 498 ए के अंतर्गत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करते हैं।चूंकि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए पहले ही दो साल की अवधि के लिए कारावास से गुजर चुके हैं, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा निर्देश दिया गया है, इसलिए अपीलार्थी को तुरंत निशुल्क करने का निर्देश दिया जाता है।

/

18. तदनुसार अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

(सहायकः भव्यता कपूर, एलसीआरए)

/